



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

माघ 26, सोमवार, शके 1942-फरवरी 15, 2021
Magha 26, Monday, Saka 1942- February 15, 2021

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त(जीएण्डटी) विभाग

जयपुर, फरवरी 15, 2021

राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956(1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)/एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 18.12.2020 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

विमल कुमार गुप्ता,

संयुक्त शासन सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 18, 2020

जी.एस.आर.229:- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के विभागों और उद्यमों के संसाधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और उपापन संस्थाओं के व्यक्तिशः बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए यह आवश्यक है, इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ. 1(8)/एफ डी/जी.एफ.एण्ड ए.आर./2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में, विद्यमान क्रम संख्यांक 8क और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् और विद्यमान क्रम संख्यांक 9 और उसकी प्रविष्टियों के पूर्व निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 8ख और उसकी प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :-

"

8ख.	चीनी	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि.	-
-----	------	---------------------------------------	---

"

[सं.एफ.2(1)/एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017]

राज्यपाल के आदेश से,

विमल कुमार गुप्ता ,

संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।